न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 67/24 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2024/161

उनवान

समेदीन पुत्र श्री रहमत जाति मेव निवासी कैथवाड़ा तहसील पहाड़ी जिला डीग।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. कलबंत सिंह
2. मानसिंह

} पिसरान बलकार सिंह जाति सिक्ख निवासी कैथवाड़ा तहसील पहाड़ी

.....असल रेस्पोडेन्ट्स

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पहाड़ी जिला डीग।

.....तरतीवी रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 145/2020 बउनवानी कलबंत बनाम समेदीन में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.05.2024 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी, दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री नीरपाल सिंह कुन्तल उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 श्री पंकज कुमार उपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

निर्णय दिनांक : 19.03.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी द्वारा मु.स. 145/2020 बउनवानी कलबंत बनाम समेदीन में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.05.2024, दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2403/0.08 हैक्टर वाके ग्राम कैथवाड़ा प्रथम तहसील पहाड़ी में स्थित है आराजी मुतदाविया वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की सम्मलित खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादी एवं अपीलान्ट/प्रतिवादी सं. 1 सम्मलित रुप से काश्तकार काबिज रहकर काश्त व कब्जा है। आराजी मुतदाविया का सम्मिलित खाता होने के कारण काश्त करने में परेशानी रहती है। जिस कारण वादीगण ने अपीलान्ट/प्रतिवादी से विधिवत विभाजन करने को कहा तो प्रतिवादी/अपीलान्ट ने विभाजन करने से साफ इंकार कर दिया। वदी वजह वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश कर निवेदन किया गया कि विवादित आराजी मुतदाविया का बंटवारा मुताबिक राजस्व रिकार्ड अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी किया जाकर वादीगण को आराजी मुतदाविया के अपने हिस्से का

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

अलग–अलग खाता एवं राज लगान कायम किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। तद्उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2024 को निर्णय पारित कर दावा वादी प्राथमिक डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नीरपाल सिंह कुन्तल एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पंकज कुमार ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।
4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।
5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री कानूनी प्रावधानों एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत कानूनी प्रावधानों की अवहेलना करते हुये न्यायिक प्रक्रिया एवं कानूनी प्रावधानों की पालना किये बिना सरसरी तौर पर गलत रुप से पारित की गई है जो हर सूरत में प्राथमिक स्तर पर ही काबिल निरस्तनीये है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी अपीलान्ट द्वारा दिनांक 08.09.2023 को जबाब दावा प्रस्तुत किया गया है तथा पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत की गई है तथा दिनांक 22.09.2023 नियत की गई है तथा दिनांक 22.09.2023 एवं 09.10.2023 को पत्रावली पूर्वानुसार नियत की गई। उसके बाद मौहर लगाई गई है उसके बाद दिनांक 15.04.2024 और 22.04.2024 को भी पूर्वानुसार की आदेशिका लिखी गई है परन्तु तनकीयात कायम नही की गई है और अन्त में बिना तनकीयात कायम किये बिना पत्रावली साक्ष्य में नियत किये बिना साक्ष्य लिये तथा साक्ष्य पर अपना कोई अभिमत प्रकट किये बिना सीधे ही कानूनी प्रावधानों के विपरीत दिनांक 22.05.2024 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री महज सरसरी तौर पर गलत रुप से पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत गलत रुप से निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 39 नियम 7 सीपीसी इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया कि खसरा नम्बर 1980/0.25, 1981/0.02, 2403/0.08 व आम रास्ता, पक्का निर्माण की भौतिक स्थिति, रिपोर्ट मय फोटोग्राफ चारों तरफ की वास्तविक स्थिति भू–प्रबन्ध विभाग से तलब किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिसका जबाब भी वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा दे दिया गया है परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में उसका निर्णय मूल वाद के साथ करने बाबत आदेश दिया गया है जबकि अपीलाधीन आदेश से पूर्व उसका निर्धारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वदी वजह अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री काबिल निरस्तनीये है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री तारीख 22.05.2024 निरस्त फरमाई जाकर कानूनी प्रावधानों एवं न्यायिक प्रक्रिया की पूर्ण पालना कर पुनः निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करने बाबत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2403/0.08 वाके ग्राम कैथवाड़ा तहसील पहाड़ी स्थित है। उक्त विवादित आराजी वादीगण/रेस्पोडेन्ट एवं अपीलान्ट/प्रतिवादी सं. 1 की सम्मलित आराजी भूमि थी जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण सम्मलित रुप से काबिज रहकर काश्त व कब्जा था। आराजी मुतदाविया सम्मलित खाता होने के कारण काश्त करने में परेशानी रहती थी एवं सम्मलित रुप से काश्त करना संभव नहीं रहा था। अपीलान्ट/प्रतिवादी सं. 1 ने आराजी मुतदाविया के कुछ हिस्से पर पक्का निर्माण कर रखा था। इसी कारण वादी ने प्रतिवादी से विधिवत विभाजन कराने को कहा तो प्रतिवादी सं. 1 ने साफ इन्कार कर दिया। वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स विवादित आराजी का मुताबिक राजस्व रिकार्ड अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में बुरी का विभाजन कर अलग–अलग खाता व राज लगान कायम करा पाने के अधिकारी थे। वदी वजह वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का दावा पेश किया गया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वकील फरीकेन की बहस सुनकर वादीगण का दावा प्राथमिक डिक्री करते हुए तहसीलदार पहाड़ी को विवादित आराजी ख.न. 2403/0.08 हैक्टर वाके ग्राम कैथवाड़ा प्रथम तहसील पहाड़ी के मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड पक्षकारान के मध्य अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजीयात के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश पारित किया गया। जो विधिसम्मत रुप से सही है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

अपील अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2024 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 24.06.2024 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट्स कलवंत सिंह एवं मानसिंह पिसरान बलकार सिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट होता है कि दावा पेश करने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवदीगण की तलबी हेतु समन जारी होने के आदेश दिए गए। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से दिनांक 14.12.2020 को मौहम्मद खाँ एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया है एवं दिनांक 03.02.2021 को ही प्रतिवादी सं. 2 की ओर से तहसीलदार पहाड़ी उपस्थित हुए एवं जबाब को समय चाहा गया। आदेशिका दिनांक 08.09.2023 के अनुसार जबाबदावा पेश किया गया तथा पत्रावली कायमी तनकी में नियत की गयी। आदेशिका दिनांक 13.05.2024 में यह अंकित किया कि वकील फरीकेन उप०। पत्रावली का अवलोकन नही हो सका है। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 22.05.2024 को नियत की गई जबकि पत्रावली तनकी कायम करने हेतु नियत रही। तारीख पेशी 22.05.2024 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गयी, जिसमें यह अंकन किया गया कि पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील फरीकेन उप०। दावा वादीगण प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते रिपोर्ट कुर्रेजात दिनांक 07.06.2024 को नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय को वादी साक्ष्य लेकर तनकीवार प्रारम्भिक डिक्री का निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। लेकिन यहां पर तो पत्रावली सीधे ही बिना तनकीवार निर्णय पारित किए एवं बिना दस्तावेजात को प्रदर्शित किए ही प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

गयी। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने का दायित्व होता है। वादी को अपना वाद सिद्ध करने हेतु मौखिक साक्ष्य पेश करना होता है एवं उसके आधार पर अपने द्वारा पेश दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाना होता है। बिना दस्तावेज प्रदिर्शत हुए वे साक्ष्य में पढ़े नहीं जा सकते हैं। अगर वादी अपना वाद सिद्ध करने हेतु साक्ष्य पेश करने में विफल रहता है तो उसका दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जब प्रकरण में दिनांक 08.09.2023 को कायमी तनकीयात में रखी गई तो अधीनस्थ न्यायालय को तनकी कायम करने के बाद तनकीवार ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। इस स्थिति में उभयपक्ष को पूर्ण व समुचित लिखित व मौखिक साक्ष्य ली जाकर ही विधि अनुसार निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 नियम 2 एवं आदेश 20 नियम 5 अनुसार तनकीवार निर्णय किया जाना अनिवार्य है।

सिविल प्रक्रिया 1908 का आदेश 14 नियम 2 सीपीसी निम्न प्रकार है :–

न्यायालय द्वारा सभी विवाद्यकों पर निर्णय सुनाया जाना–(1) इस बात के होते हुए भी कि वाद का निपटारा प्रारम्भिक विवाद्यक पर किया जा सकेगा, न्यायालय उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभी विवाद्यकों पर निर्णय सुनाएगा।

सिविल प्रक्रिया 1908 का आदेश 20 नियम 5 निम्न प्रकार हैः–

न्यायालय हर एक विवाद्यक पर अपने विनिश्चय का कथन करेगा– उन वादों में, जिनमें विवाद्यक की विरचना की गई है, जब तक कि विवाद्यकों में से किसी एक या अधिक का निष्कर्ष वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त न हो, न्यायालय हर एक पृथक विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष या विनिश्चय उस निमित कारणों के सहित देगा।

हस्तगत निर्णय आदेश 14 नियम 2 सीपीसी एवं आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निष्कर्ष के लिए कोई कारण बताये बिना तथा विवाद्यकों या साक्ष्य पर विचार किए बिना ही इस वाद में प्राथमिक डिक्री पारित कर दी। **यह निर्णय व प्राथमिक डिक्री "निर्णय" की परिभाषा से आवृत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम नहीं की गई और ना ही तनकीवार निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल अपनी सुविधा के अनुसार सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर दिया है।**

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा मौखिक साक्ष्य/ शपथ पत्र नहीं लिये गये एवं ना ही किसी गवाह से जिरह की गयी है एवं वादीगण द्वारा जो दस्तावेज साक्ष्य में पेश किये गये हैं, वे दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में विधिवत रुप से प्रदर्शित नही हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय में प्रक्रियात्मक कानून की पालना वादीगण के सम्बन्ध में विधिसम्मत रुप से पूर्ण नहीं की है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 208 के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होती है। इस धारा में निम्न प्रावधान हैं :–

208 सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू होना– सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन के सब वादों और कार्यवाहियों पर सिवाय :–

(क) इस अधिनियम में किसी बात से असंगत उपबंधों के, ऐसी असंगति की सीमा तक,

(ख) इस अधिनियम की व्याप्ति के बाहर के विशेष वादों या कार्यवाहियों पर लागू उपबन्धों के, तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

(ग) चतुर्थ अनुसूची की सूची (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के, चतुर्थ अनुसूची की सूची–II में अन्तर्विष्ट उपान्तरणों के अध्यधीन लागू होंगे।

इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 208 में उल्लिखित तीन अपवादों को छोड़कर राजस्व न्यायालय की सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। इसलिए राजस्व न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दी गयी प्रक्रिया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 वर्तमान में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एवं राजस्थान रेवेन्यू कोर्टस, मैन्युअल 1956 की प्रक्रिया अनुसार दावों का निस्तारण करते हैं। साक्ष्य विधि की पद्धति उक्त अधिनियमों के अनुसार ही अपनाई जाकर प्रकरण के निष्कर्ष पर पंहुचा जाता है। जब दो पक्षकारों के बीच कोई विवाद उठता है तब ये न्यायालय जाते हैं जो विवादग्रस्त विवाद्यकों या प्रश्नों को निर्धारित करता है। तत्पश्चात् पक्षकार अपने–अपने समर्थन में साक्ष्य पेश करते हैं और इस प्रकार साक्ष्य की विधि के उपयोग का प्रारम्भ होता है। यह विधि साक्षियों और दस्तावेजों आदि को, जो विवादग्रस्त विषयों के विनिश्चय के लिए सुसंगत हैं पेश करने की पद्धति बताती है। दूसरे शब्दों में साक्ष्य किसी तथ्य को साबित या ना साबित करने की रीति है। राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल 1956 (भाग–2) में दस्तावेजों को प्रदर्शित करने बाबत प्रावधान किए गए है एवं गवाहों को किस प्रकार उल्लेख किया जावे इस बाबत भी प्रावधान दिए गए हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.05.2024 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा पेश दस्तावेजात पर प्रदर्श ही अंकित नहीं किए जो प्रक्रियात्मक कानून (Procedural Law) की अवहेलना की श्रेणी में आता है। जब दस्तावेजात को प्रदर्शित ही नहीं किया गया तो वे साक्ष्य में पढे नहीं जा सकते हैं एवं उनके आधार पर निर्णय भी पारित नहीं किया जा सकता है। वादपत्र के अभिवचनों से विनिर्दिष्ट रुप से इंकार नहीं किया गया हो तब भी वादी को अपने अभिवचनों को साक्ष्य से साबित करना होता है। वाद के साथ दस्तावेज प्रस्तुत कर देने मात्र से वह साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य नहीं होते हैं। बल्कि दौराने साक्ष्य अभिवचनों की पुष्टि में प्रस्तुत दस्तावेजों पर प्रदर्श मार्क अंकित किया जाना आवश्यक है और यदि किसी दस्तावेज को साबित किए जाने की आवश्यकता हो तो ऐसे दस्तावेज को साबित किया जाना भी जरुरी होता है। तत्पश्चात् ही दस्तावेजों को निर्णय का आधार बनाया जा सकता है। केवल वे ही दस्तावेज साक्ष्य की परिभाषा में आ सकते हैं जो दौराने साक्ष्य प्रदर्श हुए हैं और आवश्यक होने पर साबित हुए हों। प्रत्येक प्रदर्श मार्क पर पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिनांक सहित आद्याक्षर किये जाएगे। इस सम्बन्ध में राजस्थान रेवेन्यू कोटर्स मेनयूअल (भाग–2) 1956 के नियम 80 के अनुसार दस्तावेज प्रदर्शित किए जाने चाहिए साथ ही नियम 80(4) के अनुसार प्रत्येक प्रदर्श मार्क पर पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक सहित आद्याक्षर (Initialled and dated) किए जाएगें एवं नियम 129 के अनुसार पक्षकारों एवं गवाहों का उल्लेख करना चाहिए। यदि कानून किसी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने की अपेक्षा करता है एवं इस हेतु कानून में प्रावधान किए गए हैं तो उसे उसी तरीके से ही किया जाना चाहिए या बिल्कुल ही नहीं किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण तनकी कायमी में रखने के पश्चात् तनकी कायम किये बिना ही प्राथमिक डिक्री पारित दी, जो विधिसम्मत नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाकर जैर अपील निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री उपर्युक्त विवेचन के

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

क्रम में पारित किए हैं वे त्रुटिपूर्ण होने से उनका समर्थन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति यह प्रकट होती है कि आलौच्य अपील में उक्त प्रकरण प्रक्रियात्मक कानून का पालन न करने का ठोस आधार उपलब्ध होने के कारण इसे आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2024 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर्युक्त विवेचनानुसार उभयपक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, साक्ष्य सबूत लेकर, विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित करें। उभयपक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.04.2026 को पेश होवे।

10. निर्णय आज दिनांक 19.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।

12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर